		हुक्म की... में जारी हुए
04/10/17	वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण की साक्ष्य उपस्थिता हेतु दर्ज की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06/10/2017 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	
06/10/17	वकील वादीगण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। डिक्री पत्र जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पत्रावली नियम सुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथूसिह राठौड़ R.A.S.

प्रकरण संख्या :–67/2017

वादीगण :–

1. आसूराम पुत्र चूनाराम
2. शंकराराम पुत्र चूनाराम

जाति सुथार निवासी मगासर गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. चूनाराम पुत्र रूपाराम
2. राणाराम पुत्र सोनाराम
3. बागाराम पुत्र सोनाराम
4. दमाराम पुत्र सोनाराम
5. रावताराम पुत्र सोनाराम
6. गजरो पत्नी जोनाराम
7. सवाईराम पुत्र मोतीराम
8. देवाराम पुत्र मोतीराम
9. बाबूलाल पुत्र मोतीराम
10. रामूदेवी पत्नी मोतीराम
11. भूराराम पुत्र पदमाराम
12. पुरखाराम पुत्र पदमाराम
13. गवरी पत्नी पदमाराम
14. चेतनराम पुत्र मगाराम
15. ठाकराराम पुत्र मगाराम
16. दमाराम पुत्र मगाराम
17. करनाराम पुत्र मगाराम
18. चनणाराम पुत्र मगाराम
19. डूंगराराम पुत्र मगाराम

    जातियान सुथार निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी
21. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा नोखड़ा
22. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सहपठित धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थित :–

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–06.10.2017

वादीगण ने यह वाद राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा मगासर पटवार हल्का गोलिया जैतमाल में खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 34–02 बीघा, खसरा नम्बर 488 रकबा 5–05 बीघा, खसरा नम्बर 489 रकबा 83–03 बीघा व ग्राम बाकाणी सारणों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 63–02 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 48–12 बीघा तथा मौजा विश्वकर्मा में खेत खसरा नम्बर 442 रकबा 3–02 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 19–18 बीघा की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त एवं मालिकाना हक हकूक का है। इस प्रकार समस्त वादग्रस्त खेतों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15–1/15 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले के नाम से ही दर्ज है। वादीगण का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेतो में वादीगण अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रोकटोक करता है। जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 02.08.2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई। हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूवर्क अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के वादपत्र का बाबजूद नोटिस तामील किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किया है। तथा उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6)

पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा मगासर पटवार हल्का गोलिया जैतमाल में खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 34–02 बीघा, खसरा नम्बर 488 रकबा 5–05 बीघा, खसरा नम्बर 489 रकबा 83–03 बीघा व ग्राम बाकाणी सारणों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 63–02 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 48–12 बीघा तथा मौजा विश्वकर्मा में खेत खसरा नम्बर 442 रकबा 3–02 बीघा, खसरा नम्बर 470 रकबा 19–18 बीघा में वादीगण प्रत्येक को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/10/17

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी